न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—263 / 2025 / 225 आर.टी.एक्ट (2025 / 263)

1. रामरतन पुत्र श्री नारायण, आयु 68 वर्ष, जाति—बलाई, निवासी—ग्राम धोलपुरिया, तहसील—अंराई, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गणेश पुत्र उगमा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 16.05.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई राजस्व वाद संख्या 56 / 2022

उपस्थितः—

1. श्री कुशकुमार सिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—29.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसकी माता सायर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा दिनांक 8.11.2024 को निर्णय पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके निस्तारण में न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी अंराई के निर्णय को अपने निर्णय दिनांक 9.4.2025 से पुष्ट कर दिया गया। जिसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 16.5.2025 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी का उपखण्ड अधिकारी अंराई के समक्ष प्रस्तुत कर संशोधित आदेश पारित करने का निवेदन किया जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर ही उसी दिनांक 16.5.2025 को संशोधित आदेश पारित कर अपने ही निर्णय दिनांक 8.11.2024 व न्यायालय के आदेश दिनांक 9.4.2025 को उल्ट कर निर्णय पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05. 2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जब न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.11.2024 को पुष्ट कर दिया था तो अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी प्रकार से निर्णय में परिवर्तन इत्यादि करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था फिर भी अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, इसलिए ऐसा निर्णय/ओदश निरस्त किए जाने योग्य है। धारा 152 सीपीसी के तहत किसी भी आदेश/निर्णय में केवल मात्र लिपिकिय त्रुटि को सही करने का ही मात्र अधिकार प्राप्त होता है परंतु निर्णय मूलभूत परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय/आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा स्वयं ने रास्ते की जमीन के बदले जमीन देने के बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया था जिससे वह बाध्य था जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया था और न्यायालय ने उसे पुष्ट कर यथावत रखा था। फिर रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा राशि जमा करवाने बाबत प्रार्थना प्रस्तुत किया जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपने ही कथनों से मुकरने की अनुज्ञा नहीं देता है और विधिक कार्यवाही का दुरूपयोग नहीं करने की अनुमति नहीं देता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए ही निर्णय/आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर ही उसके हितों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया जो कि न्याय नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि भूमि ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अंराई में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का पृथक पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 729/2 रकबा 1.4967 है0 स्थित है प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने एवं अन्य कृषि कार्य आवागमन के लिए खसरा संख्या 729/2 में से ही आते जाते है किंतु खसरा संख्या 729/2 में रास्ता रिकार्डेड नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बाधा कारित करते हैं। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 728/52 में सिंचाई तथा आने जाने के लिए खसरा संख्या 729/2 में से 30 फीट चौडा जिसके लिए प्रार्थीगण निर्धारित डी0एल0सी दर के अनुसार राशि देने के लिए अथवा जमीन के बदले जमीन देने हेतु तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिंचाई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 729/2 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत संशोधित आदेश अंतर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 दिनांक 08.11.2024 को स्वीकार किया जाकर अपने आदेश *" ग्राम कालानाडा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 729/2 में से रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 3211 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार 0.0544 है0 भूमि उक्त खसरे के पूर्वी भाग से अधिग्रहित की जाकर उक्त भूमि की तरमीम गै0मु0 रास्ता सिवायचक के रूप में करे तथा प्रार्थीगणों की भूमि खसरा संख्या 728/2 के उत्तरी भाग में से 0.0544 है0 रकबा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज कर उसकी तरमीम करे। रिपोर्ट क्रमांक 3211 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे। "* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के पश्चात पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की न्यायिक व विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 09.04.2025 को निर्णय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में संशोधन कराने बाबत वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत संशोधन आदेश अंतर्गत धारा 152 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में संशोधित आदेश दिनांक 16.5.2025 को पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2024 को जब निर्णय पारित किया गया था तथा हाजा न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश को अपने निर्णय दिनांक 09.04.2025 से यथावत रखा गया था, तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश में परिवर्तन करने का हक अधिकार प्राप्त हीं नहीं था बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित किया गया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत किसी भी आदेश में केवल लिपिकिय त्रुटि को सही किए जाने का प्रावधान व अधिकार है, परंतु निर्णय में मूलभूत परिवर्तन किए जाने का अधिकार नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को देखे बिना उक्त आदेश में संशोधन किया जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है।

जबकि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा स्वयं ने रास्ते की जमीन के बदले जमीन देने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया तथा हाजा न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को पुष्ट कर यथावत रखा गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा किस आधार पर जमीन के बदले राशि जमा करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपने ही कथनों से मुकरने की अनुज्ञा नहीं देता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर संशोधित निर्णय पारित किया गया इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं कोई विधिक कारण नहीं बताया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किए जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही उसके हितों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। जब वर्तमान प्रकरण में पूर्व में विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा चुका था तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में संशोधित निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया संशोधित निर्णय अंतर्गत धारा 152 सीपीसी निरस्त किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 में पारित संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के पुष्ट किए गए निर्णय दिनांक 08.11.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर